न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा, जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द गुर्जर(आर0ए0एस0)

प्रकरण प्रार्थना पत्र– 07 / 18

उनवान

शांतिलाल गुर्जर पुत्र सत्यनारायण गुर्जर जाति गुर्जर आयु बालिग पेशा कृषि निवासी पाडाझर खुर्द तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

प्रार्थी.......

बनाम

1. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार सा. रावतभाटा, कार्यालय रावतभाटा जिला–चित्तौडगढ
2. श्री राजस्थान जरिये जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़।

विपक्षीगण.....

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री बाबूराम देराश्री अभिभाषक प्राथी।
पेरोकार सरकार अप्रार्थी।

निर्णय दिनांक 22.04.2022

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत विपक्षी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09.01.2018 को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पाडाझरखुर्द प0ह0 मण्डेसरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ की जमाबन्दी संवत 2053–56 खाता संख्या 04 आराजी नंबर 21/34 रकबा 1.08 है0 लगानी 3.75 पैसा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर चली आ रही है। जिस पर प्रार्थी प्रारम्भ से ही काबिज होकर लम्बे समय से काश्त कार्य करता चला आ रहा है। वर्तमान में भी प्रार्थी ने इन आराजी जैर बहस पर फसल की बुवाई कर काश्त कर रखी है। उक्त जैर बहस के भू प्रबन्ध के पश्चात के जमाबन्दी संवत 2069–72 की खाता संख्या 77 पर नवीन नम्बर आराजी संख्या 33 रकबा 0.73 है0 लगानी 3.65 पैसा दर्ज रिकार्ड है। हाल ही में तहसील रावतभाटा क्षेत्र का भू प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रेकार्ड दुरूस्ती हेतु नवीन भू–प्रबन्ध सेटलमेन्ट किया गया जिसमें भू–प्रबन्ध कर्मचारी व अधिकारियों ने उक्त वर्णित वादी के खातेदारी की भूमियों को सेटलमेण्ट के दौरान भूल व त्रुटिवश नवीन भू प्रबन्ध रेकार्ड में उक्त आराजी जैर बहस को 1.08 है0 की जगह 0.73 है0 दर्ज रिकोर्ड कर दी गई अर्थात लगभग पोने दो बीघा कृषि भूमि कम करके बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गई जबकि प्रार्थी उक्त आराजी जैर बहस रकबा 1.08 है0 पर भी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रारम्भ से ही यह भूमि वादी के नाम पडत द्वितिय के रूप में दर्ज चली आ रही है किन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वक्त सेटलमेन्ट मोके पर मौजूद दर्ज रिकोर्ड कृषि भूमियों का सही ढंग से अवलोकन नहीं किया तथा वक्त सेटलमेन्टन तो कोई सार्वजनिक नोटिस चस्पानगी ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर की गई तथा नक्शे को तोड मरोड कर यह कृषि भूमियां जो वर्तमान में 1.08 है0 पडत सेकण्ड खातेदारी दर्ज रेकार्ड है जिन्हें रेकार्ड व नक्शें में हेर फेर कर लगभग पौने दो बीघा जमीन कम कर दी गई अर्थात बिलानाम दर्ज कर दी गई। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा न तो वादी को सुना गया ना ही कोई दावा आपत्तियां ही मांगी गई विभाग के कर्मचारियों आनन फानन में मन मक्सूद तरीके से वादी के कब्जे काश्त की कृषि भूमियों का रकबा कम कर 1.08 है0 की जगह 0.73 है0 दर्ज कर दी गई जिसका सेटलमेन्ट विभाग का कोई अधिकार नहीं है एवं सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गैर कानूनी तरीके से वादी के कदीवी समय से कब्जे काश्त व खातेदारी रेकार्ड में चली रही कृषि भूमियों को कम कर दिया गया तथा कदीवी समय से चल रहे कब्जे व काश्त की भी जांच नहीं की गई कानूनन तो सेटलमेण्ट का अर्थ है कि जो जहां जिस किस्म व नम्बर की कृषि भूमि पर कदीवी समय से बैठा है उसें राजस्व रेकार्ड में तरमीम करना चाहिए था जो नहीं किया गया जिससे भारी कानूनी दिक्कते व पैचीदगियां पैदा हो गई तथा प्रार्थी काश्तकार अपनी खातेदारी कृषि भूमियों से महरूम हो गया है जिसे दूरूस्त कर पुनः रेकार्ड व नक्शें में जो भूल व त्रुटि वश खसरा संख्या 33 पर 0.73 है0 दर्ज कर दी गई थी उसे पुनः

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा

Scanned with CamScanner

सेटलमेण्ट के पूर्व के रेकार्ड के आधार पर 1.08 है0 दर्ज किया जाकर पूर्ववत अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा ने प्रार्थना–पत्र मे दिनांक 15.01.2022 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पाडाझर खुर्द के खाता संख्या 82 आराजी संख्या 33 कुल किता 01 रकबा 0.73 है0 भूमि किस्म बारानी 1 शांतिलाल पिता सत्यनारायण के नाम दर्ज रिकोर्ड है जो बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रावतभाटा में रहन पूर्ण खाता दर्ज रिकोर्ड दर्ज है। प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 02 में तथ्य भू–प्रबन्ध विभाग भीलवाडा के द्वारा किये गये भू–प्रबन्ध कार्य में तैयार किया गया रिकोर्ड मौका अनुसार सही है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत किए व प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्श 1 से 5 कराए। अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाब पेरोकार सरकार पर बहस करने हेतु निवेदन किया ।

हमने प्रार्थना–पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत 2053–56 खाता संख्या 4 की खसरा संख्या 21/23 रकबा 1.08 हैक्टेयर से कम होकर सेटलमेन्ट के पश्चात की जमाबन्दी संवत 2069–72 में खाता संख्या 77 आराजी संख्या 33 रकबा 0.73 है0 भूमि को प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 136 का स्वीकार किया जाकर पुनः सेटलमेण्ट से पुर्व के रेकार्ड आधार पर 1.08 है0 दर्ज किया जाकर अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया जिस पर पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया भू प्रबन्ध कार्य में तैयार किया गया रिकोर्ड मौका अनुसार सही होने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, वकील वादी व अप्रार्थी पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत चितौडगढ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड चितौडगढ़ के द्वारा प्रार्थी को राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 106 व नियम 92/14/5/6 के अधिन खरीददार प्रमाण पत्र दिनांक 09.12.02 का प्रस्तुत किया है तथा पत्र क्रमांक/10033 दिनांक 09.12.02 से तहसीलदार रावतभाटा को क्रेता (शांतीलाल) के नाम पर भूमि का नामान्तरकरण खोलने बाबत लिखा गया है जो प्रार्थी द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अनुसार प्रार्थना–पत्र के संबंध में प्रार्थी के खातेदारी में सेटलमेन्ट के दौरान नवीन भू–प्रबन्ध में 0.35 है0 भूमि कम होना जाहिर होता है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में मिलान क्षेत्रफल में भी पुराने नम्बरों से बने नये नम्बरों का मिलान होता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र प्रमाणित होने से प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। ग्राम पाडाझरखुर्द प0ह0 लुहारिया की आराजी संख्या 33 रकबा 0.73 हैक्टर मे से कम हुई 0.35 है0 भूमि को प्रार्थी के नाम दर्ज कर रकबा 1.08 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम पर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को प्रेषित की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ

Scanned with CamScanner